कृषि (ग्रुप–2) विभाग
डायरी संख्या ...2314
दिनांक 16 MAY 2013

राजस्थान सरकार

कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

''राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना– 2009, दिशा निर्देश 2013–14''

1. योजना :

राज्य में 30 अगस्त, 1994 से कृषि कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने वाले किसानो व खेतीहर मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के लिए कृषक साथी योजना कृषि विपणन निदेशालय द्वारा शुरू की गई थी तथा इस योजना से पूर्व 22 दिसम्बर, 2004 से ''किसान जीवन कल्याण योजना'' के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाती रही थी। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 4 (78)/कृषि/ग्रुप–2/2002 दिनांक 09.12.2009 के द्वारा ''किसान जीवन कल्याण योजना'' को संशोधित कर ''राजीव गांधी कृषक साथी योजना'' के रूप में लागू की गई है। उक्त योजना का बीमा विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजना की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014 तक रहेगी।

योजना में राज्य के कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अथवा मण्डी प्रांगण में विपणन कार्य करते समय गांव से मण्डी तक विकय करने के अगले दिन तक लौटते हुए दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन निदेशालय द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के जरिये सहायता प्रदान की जाती है।

2. योजना का लाभ निम्न परिस्थितियों में देय होगा :

1. कृषकों/खेतिहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य में कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए (जिसमें खेती से संबंधित सिंचाई कार्य भी शामिल है)
2. सिंचाई कार्य हेतु कुआं खोदते समय, ट्यूबवैल स्थापित करते समय एवं ट्यूबवैल संचालित करते समय बिजली करन्ट लगने तथा खेत में गुजरने वाली विद्युत लाईन के क्षतिग्रस्त होने से मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
3. कृषकों द्वारा खेतों में फसलों, फल सब्जियों पर रासायनिक दवाईयों आदि का छिड़काव करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर।
4. मुख्य मण्डी यार्ड, उप यार्ड व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित क्रय केन्द्रों पर कृषि यंत्रों का उपयोग करते समय दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
5. मण्डी में बोरियों की थाग लगाते समय मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
6. मण्डी प्रांगण में ट्रेक्टर ट्रॉली, ऊंट लड्ढा, बैल गाडी, भैंसा गाडी आदि उलट जाने पर दुर्घटना में काश्तकार की मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
7. मण्डी प्रांगण में कार्यरत पल्लेदार/हमाल/मजदूर की मण्डी प्रांगण में कृषि विपणन कार्य करते समय दुर्घटना में फैक्चर होने एवं मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
8. अपने अथवा किराये के साधन जिसमें काश्तकार स्वयं हो, मण्डी में कृषि उपज लाते समय रास्ते में हुई दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर अथवा कृषि

उपज बेचकर अपने या किराये के साधन में गांव लौटते समय (अगले दिन तक) में हुई दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर।

9. काश्तकार/खेतीहर मजदूर के कृषि प्रयोजनार्थ ट्रेक्टर, बैलगाडी, ऊंटगाडी आदि से घर से खेत में जाते/आते समय दुर्घटना होने पर मृत्यु या अंग–भंग होने पर।

10. राज्य में कुट्टी काटने की मशीन अथवा कृषि संयत्रों से कृषक/मजदूर, पुरूषों, महिलाओं के केश (बाल) मशीन में आने से हुई दुर्घटना (डी–स्केल्पिंग) पर।

11. कृषकों/खेतीहर मजदूरों के खेत पर कार्य करते हुए सांप/ऊंट या जहरीले जानवर के काटने पर मृत्यु या अंग–भंग होने पर।

12. कृषि कार्य करते हुए आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु या अंग–भंग होने पर।

13. कृषि/कृषि विपणन कार्य करते समय रीढ़ की हड्डी टूट जाने पर दो अंगों की क्षति के समान मानते हुए मुआवजा राशि देय होगी।

14. कृषि/कृषि विपणन कार्य करते समय सिर में चोट लगने से कोमा में जाने पर इसे दो अंगों के स्थायी रूप से अंग–भंग होने के समान क्षति मानते हुए सहायता राशि देय होगी।

15. कृषि सुरक्षा, पशु चरायी हेतु पेडो की छंगाई, कृषि की रखवाली, करते हुए दुर्घटना घटित होने पर। (कृषि (ग्रुप2) विभाग के आदेश दिनांक 04.06.2010 द्वारा स्थापित)

16. वर्तमान में विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों के खेतों पर डिग्गी का निर्माण कराया जाता है। किसान के खेत में निर्मित डिग्गी में कृषकों/खेतीहर मजदूर की मृत्यु होने पर भी इस योजना के तहत लाभ देय होगा। कृषि विपणन निदेशालय के पत्र क्रमांक प. 1 (135) निकृवि/रागांकृसायो/11/57288 दिनांक 09.03.2011 के द्वारा जोड़ा गया। खेत में कृषि कार्य करते समय खेत में निर्मित डिग्गी/टांके में डूबने से कृषक /खेतीहर मजदूर की मृत्यु होने पर इस योजना के तहत लाभ देय होगा। (कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर के पत्रांक प.1 (58) निकृवि/रागांकृसायो/52968 दिनांक 05.03.2012 के द्वारा जोडा गया।

3. सहायता राशि :

इस योजना में निम्न प्रकार सहायता देय होगी :–

क्र.सं.	सहायता राशि हेतु परिस्थिति	देय सहायता (राशि रू. में)
1.	मृत्यु होने पर आश्रित को	1,00,000/– राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18/11/2014 से सहायता राशि 2.00 लाख रू० की गयी
2.	दो अंग, जैसे दोनों हाथ, दोनों पांव दोनों आंख, कोई एक–एक अंग अलग से कटने पर	50,000/–
3.	रीढ़ की हड्डी टूटने, सिर पर चोट	50,000/–

	से कोमा में जाने पर	
4.	पुरूष अथवा महिला के सिर के केश (बालों) की डी–स्केल्पिंग होने पर	40,000/–
5.	पुरूष अथवा महिला के सिर के केश (बालों)की आंशिक (छोटे भाग की) डी–स्केल्पिंग होने पर	25,000/–
6.	एक अंग जैसे एक हाथ, पैर, आंख, पंजा बांह आदि के अंग–भंग होने पर	25,000/–
7.	चार अंगुली कट जाने पर (पूर्ण रूप से या हिस्से में)	20,000/–
8.	तीन अंगुली कट जाने पर	15,000/–
9.	दो अंगुली कट जाने पर	10,000/–
10.	एक अंगुली कट जाने पर	5,000/–
11.	मंडी प्रांगण में कार्यरत हमाल /पल्लेदार/मजदूर को मंडी प्रांगण में कृषि/ विपणन कार्य करते समय दुर्घटना में फैक्चर होने पर	5,000/– राज्य सरकार द्वारा दि. 26/9/2017 से सहायता राशि 10,000/- रु. की गई।

4. सहायता राशि स्वीकृति हेतु प्रकिया :–

निम्न अधिकारियों की एक समिति सहायता राशि स्वीकृत करने हेतु उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेगी –

1.	अध्यक्ष/प्रशासक, संबंधित मण्डी समिति	–	अध्यक्ष
2.	जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि	–	सदस्य
3.	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति	–	सदस्य सचिव

प्रशासक, भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होने की स्थिति में उक्त समिति में जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं होगी।

उक्त समिति की बैठक मण्डी समिति स्तर पर प्रति माह आवश्यक रूप से सम्पन्न किया जाना आवश्यक होगा। यह योजना सामाजिक सरोकार से सम्बन्धित होने के कारण एक बार प्रकरण सहायता समिति द्वारा निरस्त किये जाने के पश्चात किसी भी स्तर पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा तथा गठित सहायता समिति का निर्णय

अन्तिम होगा। समिति की बैठक में निर्णय उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से लिया जावेगा। अनिर्णित एवं विवादग्रस्त प्रकरण राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत किये जा सकेगें।

5. दावों के निपटारे की प्रक्रिया एवं समयावधि :

दुर्घटनाग्रस्त काश्तकार/खेतीहर मजदूर या उसके वैध उत्तराधिकारी को दुर्घटना होने के छः माह के अन्दर क्षेत्र की मण्डी समिति को निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र देना होगा, मण्डी समिति यह सुनिश्चित करेगी की आवेदन पत्र में दर्शाई गई दुर्घटना में हुई मृत्यु या अंग–भंग की घटना कृषि कार्य करते हुए ही हुई है। समिति द्वारा सहायता राशि स्वीकृति के दावे का निर्णय एक माह से करना होगा।

यदि प्रकरण छः माह पश्चात प्राप्त होता है तो ऐसे प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अवधि में शिथिलता का अब कोई प्रावधान नहीं होगा, 6 माह की अवधि दावा प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त है, इसके पश्चात प्राप्त होने वाले दावों पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है।

कुछ प्रकरणों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण जिला कलेक्टर/ उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार कार्यालय में प्रेषित कर दिया जाता है जिसकी वजह से प्रकरण निर्धारित अवधि छः माह से अवधि पार हो जाता है। ऐसे प्रकरणों में सभी संबंधित कार्यालयों को निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया कि उक्त प्रकरण इस आशय के साथ मंडी को भिजवाये जाना सुनिश्चित करें कि प्रकरण उनके कार्यालय में अमुक तारीख को प्राप्त हो गया था। ऐसे प्रकरणों में छः माह की अवधि उक्त कार्यालयों में प्राप्त तिथि के आधार पर ही मान्य होगा।

राज्य की किसी भी मण्डी समिति में अपनी उपज बेचने जाते/बेच कर लौटते समय दुर्घटना पर सहायता राशि उसी मण्डी समिति द्वारा दी जायेगी, जिस मण्डी समिति में उपज बेची गई है। चाहे दुर्घटना उस मण्डी समिति क्षेत्र से बाहर ही हुई हो।

पैरा 2 के बिन्दु संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 एवं 16 की परिस्थितियों में संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई–गई रिपोर्ट (एफआईआर) पुलिस के पंचनामें एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी।

यदि कोई कृषक/खेतीहर मजदूर कृषि कार्य करते समय अथवा कृषि उपज विक्रय हेतु मण्डी में जाते व आते समय घटित दुर्घटना के फलस्वरूप अंग भंग होने की स्थिति में पुलिस मे एफ.आई.आर., पुलिस के पंचनामें एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें स्थानीय राजकीय अथवा निजी चिकित्सालय, जहां से भी ईलाज करवाया गया है उस चिकित्सक का प्रमाण पत्र, ईलाज की पर्ची इत्यादि दावा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। सामान्य दुर्घटना के फलस्वरूप हुई दुर्घटना से हुए अंग भंग में योजना का लाभ देय नहीं होगा।

पैरा 2 के बिन्दु संख्या 11 की परिस्थितियों में सामान्यतः दुर्घटना की संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई रिपोर्ट एवं पुलिस के पंचनामें/पोस्टमार्टम

रिपोर्ट के आधार पर सहायता राशि स्वीकृत की जानी चाहिए। परन्तु किन्हीं परिस्थितिवश दुर्घटना की संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाना अथवा पोस्टमार्टम संभव नहीं होने पर मृत्यु के मामले में पंचनामें के आधार पर सहायता राशि स्वीकृत की जा सकेगी। ऐसे पंचनामें पर स्थानीय जिला परिषद सदस्य/पंचायत समिति सदस्य/सरपंच/पंच/विद्यालय का प्रधानाध्यापक अथवा उस विद्यालय का कोई अध्यापक, जो वहां निवास करता हो/ पटवारी ग्राम सेवक /कृषि पर्यवेक्षक/ए.एन.एम./राजीव गांधी पाठशाला का अध्यापक/स्थानीय राजकीय अधिकारी अथवा कर्मचारी में से कोई तीन, जिसमें सरपंच एवं दो राज्य कर्मचारी को होना अनिवार्य होगा। पंचनामें में उक्त के अलावा दो स्थानीय प्रतिष्ठित नागरिकों के हस्ताक्षर करवाने होगें।

सर्पदंश/ऊंट/जहरीले जानवर के काटने के कारण मृत्यु होने की स्थिति में राजकीय चिकित्सक का ही प्रमाण पत्र आवश्यक होगा एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा मौके पर तैयार पंचनामा पर दो सरकारी कर्मचारी एवं संबंधित चिकित्सक जिसने चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किये हैं, के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। प्रमाणित करने वाले चिकित्सक एवं हस्ताक्षरकर्ता सरकारी कर्मचारी तथ्यों की सत्यता हेतु समान रूप से उत्तरदायी होंगे।

योजनान्तर्गत राजकीय डाक्टर के संबंध में यह स्पष्ट है कि सरकारी कोई भी डाक्टर (एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी) शामिल होगा।

योजनान्तर्गत सर्पदंश /ऊंट/ जहरीले जानवर के कारण दुर्घटना में जहां अंग-भंग हो जाता है, वहां ऐसे काश्तकार/खेतीहर मजदूर द्वारा स्थानीय या संबंधित चिकित्सालय जहां से भी ईलाज करवाया गया है, उस चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र व ईलाज की पर्ची व दवाईयों आदि के बिल आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

स्कैल्पिंग की दुर्घटना में यदि राजकीय अस्पताल में ईलाज करवाया जा रहा है, तो संबंधित डाक्टर की रिपोर्ट पर देय राशि के 50 प्रतिशत का भुगतान दुर्घटनाग्रस्त कृषक/खेतीहर मजदूर को मण्डी समिति के अनुमोदन के पश्चात मण्डी समिति द्वारा किया जाएगा। यदि डी स्कैल्पिंग का ईलाज निजी चिकित्सालय में करवाया जा रहा है, तो देय राशि का भुगतान समिति के अनुमोदन के पश्चात मण्डी समिति द्वारा एकमुश्त किया जाएगा।

6. सहायता राशि का भुगतान एवं पुर्नभुगतान :

समिति के निर्णय के पश्चात संबंधित मण्डी समिति के सचिव द्वारा वैध दावेदार को 15 दिन में रेखांकित चैक/ड्राफ्ट द्वारा दो व्यक्तियों के सामने किया जाएगा, जिनका सत्यापन दोवदार द्वारा की गई रसीद पर भी होगा।

सहायता राशि का भुगतान मण्डी समिति स्तर पर गठित सहायता समिति द्वारा दस्तावेजों की परीक्षोपरान्त संबंधित सचिव मण्डी समिति द्वारा किया जाएगा। संबंधित मंडी की सहायता समिति द्वारा स्वीकृत दावों की राशि का पुर्नभरण निदेशालय द्वारा किया जाएगा। इस हेतु संबंधित सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति का दायित्व होगा कि वह निस्तारित प्रकरणों की सम्पूर्ण सूचना/दस्तावेज निदेशालय कृषि विपणन विभाग, राजस्थान, जयपुर को 10 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करेगा।

योजनान्तर्गत यह देखा गया है कि कतिपय मंडियों में 31 मार्च के बाद वे प्रकरण जो गत वर्ष घटित हुए है उन्हें आगामी वर्ष में शामिल कर लिया जाता है। अतः समस्त मंडी सचिवों को निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया कि प्रकरण जिस वर्ष में घटित हुआ उसी वर्ष के रजिस्टर में इन्द्राज कर उसी वर्ष में रिपोर्ट किया जाएगा।

योजना के अन्तर्गत नियमानुसार भुगतान किये जाने के पश्चात सभी प्रकरणों को मूल पत्रावलियां एवं अभिलेख संबंधित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में रखा जायेगा, जिसके आधार पर कृषि उपज मण्डी के लेखों का चार्टड एकाउन्टेंट एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण करते समय इन प्रकरणों की भी जांच की जायेगी।

काश्तकार के कृषि उपज विक्रय हेतु मण्डी में जाते /लौटते समय, सर्प के डसने से, बिजली करंट, विद्युत लाईन के क्षतिग्रस्त होने तथा आकाशीय बिजली से दुर्घटना /मृत्यु होने पर प्रकरणों की जांच मंडी सचिव संबंधित गांव में जाकर स्वंय करेंगें।

सदस्य सचिव को यह प्रतीत हो कि इन निर्देशों का उल्लंघन हो रहा हो अथवा जहां भी कहीं संदेह की स्थिति हो व जांच आवश्यक हो तो वह किसी स्वतंत्र अन्वेषणकर्ता से प्रकरण की जांच कराएगा किन्तु उक्त कार्य 30 दिवस के अन्दर करना अनिवार्य होगा। अन्वेषणकर्ता की जांच रिपोर्ट मय अनुशंसा पुनः मंडी दावा स्वीकृति समिति के समक्ष रखी जाएगी। यदि समिति एवं अन्वेषणकर्ता की अभिशंसा में भिन्नता हो तो ऐसे प्रकरणों को कृषि विपणन निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

इस योजना का संचालन कृषि विपणन निदेशालय द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से किया जावेगा। योजना के अनुसार कृषि उपज मंडी समिति को किये जाने वाले दावों का पुनर्भरण कृषि विपणन निदेशालय द्वारा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विशिष्ठ एवं अ श्रेणी की मंडी समिति से प्राप्त अंशदान से किया जायेगा।

7. बैंक खातों का संधारण :

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के संचालन हेतु एक पृथक बैंक खाता खोला जावेगा। उक्त बैंक खाते में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विशिष्ठ एवं अ श्रेणी की मंडी समितियों से प्राप्त अंशदान ज़मा कराया जावेगा तथा उक्त खाते से मंडी समितियों से प्राप्त पुर्नभरण दावों का भुगतान किया जावेगा। 1,00,000/- रूपये तक के चैक पर मुख्य लेखाधिकारी हस्ताक्षर कर जारी करने हेतु अधिकृत होगें। इससे अधिक राशि के चैको पर मुख्य लेखाधिकारी एवं निदेशक के संयुक्त हस्ताक्षर से चैक जारी किये जा सकेगें।

बैंक खाते का प्रतिमाह मिलान कर यदि कोई अन्तर पाया जाता है तो तुरन्त कार्यवाही कर आवश्यक सुधार कराया जावेगा।

राशि को स्थायी विनियोजन के रूप में रखी जावेगी। एक साथ बैंक खाते में दिन प्रतिदिन के लेन देन हेतु राशि 2 करोड़ रूपये रखी जावेगी।

8. राज्य स्तरीय Review Committee

मंडी समिति की कमेटी के स्तर पर अनिर्णित प्रकरणों को राज्य स्तरीय कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखे जा सकेगें। कमेटी निम्नानुसार होगी :–

1.	निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	उप शासन सचिव, कृषि ग्रुप–2	–	सदस्य
3.	मुख्य लेखाधिकारी	–	सदस्य सचिव

राज्य सरकार के आदेश दि० 07/04/2017 के द्वारा मुख्य लेखाधिकारी के स्थान पर संयुक्त निदेशक II को सदस्य सचिव नामित किया।

9. <u>योजना के अपवर्जन एवं ध्यान रखने योग्य बिन्दु :</u>

योजनान्तर्गत दुर्घटना में मृत्यु/क्षति होने पर दुर्घटना के स्पष्ट साक्ष्य मिलने पर ही योजना के लाभ देय होंगे। कृषि कार्य के अलावा अथवा कृषि उपज मण्डी में विकय हेतु जाने/आने के अलावा अन्य कारणों से हुई दुर्घटना के कारण मृत्यु या अंग–भंग में योजना का लाभ देय नहीं होगा। निम्न कारणों से होने वाली मृत्यु /क्षति के मामलों में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा :

1. (i) बीमारी से होने वाली मृत्यु /अंग–भंग होने की स्थिति में।
   (ii) आत्महत्या, पागलपन अथवा कृषक द्वारा नशीले द्रव्य लेने से होने वाली मृत्यु।
   (iii) चिकित्सा अथवा शल्य–क्रिया के दौरान होने वाली मृत्यु।
   (iv) मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर प्रकरण योजना में शामिल नहीं किया जावेगा।
   (v) गर्भ धारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली मृत्यु।
   (vi) यदि दुर्घटना तिथि एवं मृत्यु तिथि में 90 दिन से अधिक का अन्तर होगा तो प्रकरण दुर्घटनावश नहीं माना जायेगा। लेकिन यदि ईलाज लगातार चल रहा हो और उसी हादसे के कारण मृत्यु हुई हो तो प्रकरण राजीव गांधी कृषक साथी योजना में कवर माना जाएगा बशर्ते इस दौरान दुर्घटनाग्रस्त कृषक /खेतीहर मजदूर संबंधित अस्पताल द्वारा डिस्चार्ज न किया गया हो/ डिस्चार्ज होकर पुनः भर्ती न हुआ हो।
   (vii) नाभिकीय विकरण अथवा परमाण्विक अस्त्रों से होने वाली मृत्यु।
   (viii) युद्व विदेशी आकमण विदेशी शत्रु के कृत्यों, गृह युद्व, देश द्रोह अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से होने वाली मृत्यु।
   (ix) आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा स्थापित कानून का उल्लंघन करते समय हुई मृत्यु।

(x) विधि द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करने के फलस्वरूप हुई क्षति/मृत्यु की दशा में।

2. "75 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को योजना में शामिल नहीं माना जायेगा।" कृषि विपणन निदेशालय के पत्र क्रमांक प 1 (135) निकृवि/रागांकृसायो/10/15176 दिनांक 29.06.2011 के द्वारा जोड़ा गया ।

3. 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा यदि वह स्वंय के खेत पर भी कार्य करता है तो योजना का पात्र नहीं माना जायेगा। 14 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा यदि विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का लाभार्थी है तो उसे इस योजना का लाभ देय नहीं होगा अर्थात वह दोनों योजनाओं में से किसी एक योजना का लाभ ले सकेगा एवं इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (कृषि विपणन निदेशालय के पत्र क्रमांक प 1 (135) निकृवि/रागांकृसायो/10/15176 दिनांक 29.06.2011 के द्वारा जोड़ा गया)

4. सर्पदंश, जहरीले जानवर के काटने पर मृत्यु/क्षति होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट/एफआईआर नहीं होने की स्थिति में मौके पर तैयार पंचनामा एवं राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, प्रमाण पत्र पर दो सरकारी कर्मचारी एवं संबंधित चिकित्सक जिसने चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किये है, के हस्ताक्षर भी आवश्यक होंगे। प्रमाणित करने वाले चिकित्सक एवं हस्ताक्षरकर्ता सरकारी कर्मचारी तथ्यों की सत्यता हेतु समान रूप से उत्तरदायी होंगे।

5. कृषकों/खेतीहर मजदूरों को कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में मृत्यु या अंग भग होने पर सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। कुछ प्रकरणों में सरकार की अन्य योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री सहायता कोष, प्राकृतिक आपदा कोष, राष्ट्रीय आपदा कोष आदि के अंतर्गत भी सहायता राशि दी जाती है। इस प्रकार एक ही प्रकरण में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एक ही व्यक्ति को दोहरी सहायता दिये जाने की स्थिति बन जाती है। अतः अन्य योजनाओं के अधीन भुगतान की गयी राशि को कम कर केवल अंतर राशि का ही भुगतान कृषक/मजदूर को किया जायेगा। इस हेतु दावेदार का दावा प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (कृषि विपणन निदेशालय के आदेश क्रमांक निकृवि/रागांकृसायो/2010-11/3464-80 दिनांक 03.05.2010 के द्वारा जोड़ा गया।)

निदेशक एवं
संयुक्त शासन सचिव
कृषि विपणन
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.1 (158) निकृवि/रागाकृसायो/MOU file/ C126-6303 जयपुर दिनांक : 09/5/13

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव माननीय राज्यमंत्री महोदय, कृषि विपणन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ।
5. शासन उप सचिव कृषि (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी, कृषि विपणन विभाग राजस्थान, जयपुर।
8. क्षेत्रीय उप/सहायक निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्डीय कार्यालय (समस्त)।
9. सहायक निदेशक (प्रशासन) कृषि विपणन विभाग राजस्थान, जयपुर।
10. सहायक लेखाधिकारी, प्रथम/द्वितीय, कृषि विपणन विभाग राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)
12. रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी
कृषि विपणन विभाग
राज0 जयपुर

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांक: प.1 (158) निकृवि/रागाकृसायो/MOU file/ जयपुर दिनांक:

राजीव गांधी कृषक साथी योजना – 2009 के पुनर्भरण के संबंध में दिशा निर्देश

राज्य में कृषि कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने वाले किसानों व खेतीहर मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लागू "राजीव गांधी कृषक साथी योजना–2009" को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4 (78)/कृषि/ग्रुप–2/2002 दिनांक 09.12.2009 के द्वारा लागू किया गया है। इस योजना का बीमा विगत वर्षो से राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग के माध्यम से किया जाकर देय सहायता राशि का पुनर्भरण बीमा विभाग द्वारा प्राप्त प्रिमियम से किया जाता रहा है। वर्ष 2013–14 से उक्त योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के स्थान पर कृषि विपणन विभाग द्वारा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं विशिष्ठ एवं "अ" श्रेणी की मण्डी समितियों से प्राप्त अंशदान की सहायता से किया जावेगा। इस संबंध में निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. मण्डी स्तर पर प्राप्त होने वाले दावों की जांच एवं निस्तारण निम्न प्रकार गठित कमेटी द्वारा किया जावेगा :–

   (1) अध्यक्ष, कृषि उपज मंडी समिति (संबंधित–अध्यक्ष)

   (2) उप खण्ड अधिकारी या उसका प्रतिनिधि जो तहसीलदार स्तर से कम या अधिकारी न हो – अनिवार्य सदस्य

   (3) सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (संबंधित) सदस्य सचिव

   किसी प्रकरण में किसी सदस्य का मत भिन्न होने की दशा में संबंधित प्रकरण निदेशक, कृषि विपणन विभाग को निर्णयार्थ संदर्भित किया जावेगा।

2. निदेशालय स्तर पर राजीव गांधी कृषक साथी योजना के संचालन हेतु पृथक से बैंक अकाउण्ट खोला जाकर उक्त बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त समस्त अंशदान उक्त खाते में जमा कराया जावेगा तथा उक्त खाते से समस्त प्राप्त पुनर्भरण के दावों को संबंधित मंडी समिति को चैक के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।
3. बैंक खाता वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त कर खोला जावेगा जो निदेशक के नाम से संचालित होगा। इस हेतु पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे।
4. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप 50% राशि अंशदान के रूप में प्राप्त की जावेगी तथा 50% राशि विशिष्ठ एवं "अ" श्रेणी की मण्डी समितियों से प्राप्त कर जमा की जावेगी। वर्ष 2013–14 के लिए राशि रू. 25 करोड प्राप्त की जावेगी। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर मंडी समितियों एवं बोर्ड का अंशदान इसी प्रतिशत में बढाया जा सकेगा।
5. मंडी समितियों में प्राप्त दावों का गठित कमेटी द्वारा परीक्षण उपरान्त पूर्व की भांति संबंधित मंडी समिति द्वारा भुगतान किया जावेगा तथा पुनर्भरण हेतु निदेशालय को प्रेषित किया जावेगा। निदेशालय में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्राप्त समस्त प्रकरणों का उसी माह की 20 तारीख तक पुनर्भरण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6. निदेशालय स्तर पर बैंक खाते का संचालन एवं इसके प्रतिमाह मिलान का कार्य अंशदान एवं पुर्नभरण पंजिका का संधारण किया जावेगा।

7. राजीव गांधी कृषक साथी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अन्य वर्तमान प्रावधान यथावत लागू रहेगें।

उपरोक्त दिशा–निर्देश राज्य सरकार के सक्षम अनुमोदन उपरान्त जारी किये जाते है।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
कृषि विपणन विभाग
राज0 जयपुर 02/5/2013

क्रमांक : प.1 (158) निकृवि / रागाकृसायो / MOU file/ 5636-5787 जयपुर दिनांक 07/5/2013
प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव माननीय राज्यमंत्री महोदय, कृषि विपणन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ।
5. शासन उप सचिव कृषि (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी, कृषि विपणन विभाग राजस्थान, जयपुर।
8. क्षेत्रीय उप / सहायक निदेशक कृषि विपणन विभाग, खण्डीय कार्यालय (समस्त)।
9. सहायक निदेशक (प्रशासन) कृषि विपणन विभाग राजस्थान, जयपुर।
10. सहायक लेखाधिकारी, प्रथम / द्वितीय, कृषि विपणन विभाग राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)
12. रक्षित पत्रावली।

7/5/13
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
कृषि विपणन विभाग
राज0 जयपुर 02/5/2013

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर.

क्रमांक: प.1 (158) निकृवि/रागाकृसायो/MOU file/ 8635-8786 जयपुर दिनांक: 21/5/13

"राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना– 2009, दिशा निर्देश 2013–14"

संशोधन

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना–2009 दिशा निर्देश 2013–14 के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक : प. 1 (158) निकृवि/रागाकृसायो/ MOU file/ 6126–6303 दिनांक 09.05.2013 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशो के विन्दु सं. 1 में "उक्त योजना का बीमा विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जा रहा है" के स्थान पर निम्नानुसार पढा जावे :–

"इस योजना का बीमा विगत वर्षो से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से किया जाकर देय सहायता राशि का पुर्नभरण बीमा विभाग द्वारा प्राप्त प्रिमियम से किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 से उक्त योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के स्थान पर कृषि विपणन विभाग द्वारा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विशिष्ठ एवं 'अ' श्रेणी की मंडी समितियों से प्राप्त अंशदान की सहायता से किया जावेगा"।

मुख्य लेखाधिकारी
कृषि विपणन विभाग
राज0 जयपुर

क्रमांक : प.1 (158) निकृवि/रागाकृसायो/MOU file/ 8635-8786 जयपुर दिनांक 21/5/13

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव माननीय राज्यमंत्री महोदय, कृषि विपणन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ।
5. शासन उप सचिव कृषि (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी, कृषि विपणन विभाग राजस्थान, जयपुर।
8. क्षेत्रीय उप/सहायक निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्डीय कार्यालय (समस्त)।
9. सहायक निदेशक (प्रशासन) कृषि विपणन विभाग राजस्थान, जयपुर।
10. सहायक लेखाधिकारी, प्रथम/द्वितीय, कृषि विपणन विभाग राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)
12. रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी
कृषि विपणन विभाग
राज0 जयपुर

JMO(RGKSY)

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2)विभाग

10/3/2014 क्रमांकः प.4(78)कृषि/ग्रुप–2/2002 जयपुर,दिनॉक 5/3/14

आदेश

राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अन्तर्गत देय सहायता राशि का वर्ष 2013–14 से पुनर्भरण के प्रकरणों से सम्बन्धित जॉच एवं पुनर्भरण हेतु समस्त कार्य राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सम्पादित किये जावेगें एवं भविष्य में समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा इस योजना से सम्बन्धित प्रकरणों को मूल ही राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को पुनर्भरण हेतु भिजवाये जायेगें।

C/A.O. 07.03.14

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं।

(हरिशंकर शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1– विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री कृषि विपणन,राजस्थान सरकार,जयपुर ।
2– निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि ।
3– प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर ।
4– निदेशक, कृषि विपणन विभाग,राजस्थान जयपुर ।
5– रक्षित पत्रावली

1370/DHM
10-3-14

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांक :– प.1 (162) निकृवि/रागांकृसायो/ 53794-935 दिनांक : 11/03/2014

प्रतिलिपि :– 1. क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्ड–समस्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, समस्त को पुर्नभरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं पुर्नभरण हेतु बोर्ड को प्रेषित प्रकरणों की सूचना पूर्व निर्धारित प्रोफार्मा में इस कार्यालय को भिजवायें।

मुख्य लेखाधिकारी
कृषि विपणन

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय जयपुर

क्रमांकः– प.1 (54)/निकृवि/रागांकृसायो/ दिनांक :

परिपत्र

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना–2009 के अन्तर्गत कृषि उपज मंडी समिति सचिवों द्वारा उप खण्ड अधिकारी के प्रमाण–पत्र की अनिवार्यता के संबंध में मार्गदर्शन मांगा जाता है।

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के दिशा–निर्देशों में उप खण्ड अधिकारी से प्रमाण पत्र लेने की अनिवार्यता का उल्लेख नहीं है। अतः योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रकरणों का निस्तारण किया जावे।

(दिनेश कुमार यादव)
निदेशक
कृषि विपणन

क्रमांकः– प.1 (54)/निकृवि/रागांकृसायो/3493-3634 दिनांक : 14-5-14

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्ड समस्त।
2. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, समस्त।

निदेशक
कृषि विपणन

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक:– प. 4 (78) कृषि–2/2002 जयपुर, दिनांक: 3 DEC 2014

संशोधित आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.11.2014 द्वारा राजीव गांधी कृषक साथी योजना में कृषक/खेतीहर मजदूर की मृत्यु होने की स्थिति में सहायता राशि रूपये 1.00 लाख के स्थान पर रूपये 2.00 लाख की गई है। उक्त आदेश, जो सभी लम्बित प्रकरणों पर लागू किया गया था, आंशिक संशोधन करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेश उन्ही प्रकरणों पर लागू होगा जिनमें मृत्यु आवेदन जारी होने की दिनांक अर्थात 18.11.2014 अथवा उसके उपरान्त हुई हो।

(हरि शंकर शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य संचिव, कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
5. निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

558/DAM/DS/15
17.09.2015

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2)विभाग

JMO
1871

क्रमांकः प.4(78) कृषि / ग्रुप–2 / 2002 पार्ट

जयपुर, दिनांकः– 16 SEP 2015

निदेशक,
कृषि विपणन विभाग
राजस्थान जयपुर।

विषयः–राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना में नोटेरी से सत्यापित शपथ–पत्र की अनिवार्यता के सम्बन्ध में मार्गदर्शन।
संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक प.1(168)निकृवि / रागांकृसासयों / 9216 दिनांक 18.06.2015 एवं पत्रांक 17498 दिनांक 24.08.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के कम में प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दिनांक 24.11.2014 के अनुसार राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना में नोटेरी से सत्यापित शपथ–पत्र की अनिवार्यता में निर्देशानुसार छूट प्रदान की जाती है।

भवदीय

(हरि सिंह मीणा)
शासन उप सचिव

322/FA
1-9-2015

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांक :– प.1(168) निकृवि / रागांकृसायों / 17914 – 25160

दिनांक : 30.09.15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, जयपुर।
3. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4. क्षैत्रीय संयुक्त / उप निदेशक,कृषि विपणन विभाग,खण्ड – समस्त।
5. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, समस्त को प्रेषित कर लेख है कि राज्य सरकार के उक्त आदेशों के अनुरूप प्रकरणों का निस्तारण करें।

(सुलतान सिंह)
वित्तीय सलाहकार
कृषि विपणन

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-2) विभाग।

क्रमांक: प.4(78)कृषि/ग्रुप-2/2002 पार्ट जयपुर, दिनांक 17/10/16

::आदेश::

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना-2009, दिशा निर्देश 2013-14 में बिन्दु सं. 5 (दावे के निपटारे की प्रकिया एंव समय अवधि) के द्वितीय अनुच्छेद के स्थान पर निम्नानुसार अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाता है:-

'यदि प्रकरण 6 माह पश्चात प्राप्त होता है, तो विलम्ब का औचित्यपूर्ण कारण दर्शाते हुए मण्डी समिति आवेदन पत्र के निर्धारित प्रपत्रों की पूर्ति करवा कर उक्त समय सीमा मे शिथिलता की स्वीकृति हेतु विभाग को भेजेगें। यह सीमा विशेष परिस्थितियों मे तीन माह तक निदेशक, कृषि विपणन विभाग द्वारा तथा छः माह तक राज्य सरकार द्वारा बढाई जा सकती है। दुर्घटना के 15 माह पश्चात सहायता राशि हेतु प्राप्त आवेदन पत्र का दावा स्वीकार योग्य नही होगा'।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागु होगा।

(रामावतार गुप्ता)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- विशिष्ठ सहायक मा. मंत्री कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर।
2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर।
3- प्रशासक राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4- निदेशक कृषि विपणन विभाग राजस्थान, जयपुर।
5- वित्तीय सलाहकार, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर।
6- मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
7- क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्ड- समस्त।
8- सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, समस्त।
9- रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

SI/DAM/05/17
12.04.2017

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2)विभाग

कमांकः प.1(158)निकृवि / रागाकृसायो /   जयपुर,दिनांकः– 07 APR 2017

आदेश

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना–2009, दिशा–निर्देश 2013–14 में बिन्दु सं0 8 में गठित राज्य स्तरीय कमेटी में मुख्य लेखधिकारी कृषि विपणन के स्थान पर संयुक्त निदेशक (द्वितीय) कृषि विपणन विभाग, जयपुर को सदस्य सचिव नामित किया जाता है।

(रामावतार गुप्ता)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री, शांसन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव(कृषि) शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रशासक,राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुरं
5. वित्तीय सलाहकार, कृषि विपणन विभाग, जयपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (द्वितीय) कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प 4(78)कृषि / ग्रुप–2 / 2002 पार्ट , जयपुर, दिनांकः– 26 SEP 2017

आदेश

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना–2009 दिशा–निर्देश 2013–14 के बिन्दु सं0 03 के क्रम संख्या 11 में आंशिक संशोधन करते हुये मण्डी प्रांगण में विपणन कार्य करने के दौरान हमाल / पल्लेदार / मजदूर की दुर्घटना मे फेक्चर होने पर देय सहायता राशि 5000 / – रूपये से बढ़ाकर 10,000 / – रूपये की जाती है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(डॉ.एस.पी.सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2– विशिष्ठ सहायक, मा0 कृषि मंत्री, राजस्थान जयपुर।
3– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि ।
4– प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन, जयपुर।
5– निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6– रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव 26/9

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांकः प.1(158) निकृवि / रागांकृसासयों / 30967-31118 दिनांक : 03.10.17

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. क्षेत्रीय संयुक्त / उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्ड–समस्त।
2. सचिव कृषि उपज मंडी समिति समस्त ।

(शशि शेखर शर्मा)
संयुक्त निदेशक
कृषि विपणन

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2)विभाग

क्रमांकःप.4(78)कृषि / ग्रुप–2 / 2002 / पार्ट

जयपुर,दिनांकः– 16 NOV 2017

आदेश

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 2009, दिशा निर्देश 2013–14 के बिन्दु सं0 5 (दावों के निपटारे की प्रकिया एवं समयावधि) में उल्लेखित अन्तिम अनुच्छेद के पश्चात् एवं बिन्दु सं0 06 के पूर्व निम्नानुसार अनुच्छेद सम्मिलित किया जाता है–

"योजनान्तर्गत मृत्यु के प्राप्त ऐसे प्रकरणों में जिनमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु के कारणों में चिकित्सक द्वारा एफ.एस.एल. रिपोर्ट / विसरा रिपोर्ट के अभाव मे अन्तिम / स्पष्ट राय अंकित नही की जाती है अथवा यह लिखा जाता है कि अन्तिम राय एफ.एस.एल. रिपोर्ट / विसरा रिपोर्ट आने के पश्चात् दीं जायेगी, ऐसे प्रकरणों मे निम्न प्रकिया अपनाई जायेगी–

1. ऐसे प्रकरण में आवेदन पत्र प्राप्त होने के एक माह के भीतर मण्डी सचिव द्वारा सम्बन्धित पुलिस स्टेशन पर एफ.एस.एल. / विसरा रिपोर्ट भिजवाने बाबत् पत्र लिखा जायेगा।
2. उक्त पत्र जारी करने के दो माह के भीतर रिपोर्ट प्राप्त न होने पर पुनः सम्बधित पुलिस स्टेशन को पत्र लिखते हुए प्रतिलिपि सम्बधित जिला पुलिस अधीक्षक को दी जावेगी।
3. उक्त दोनो पत्र जारी करने के आगामी दो माह मे भी रिपोर्ट प्राप्त न होने की स्थिति मे अन्तिम पत्र संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को लिखते हुए प्रतिलिपि संबंधित थानाधिकारी को दी जाकर एफ.एस.एल. / विसरा रिपोर्ट की वांछना की जावेगी। इस हेतु व्यक्तिशः प्रयास भी किए जायेगें। यदि तीसरा पत्र जारी करने के एक माह पश्चात् तक भी रिपोर्ट प्राप्त नही होती है किन्तु अन्य साक्ष्यो से प्रथम दृष्टया आवेदन पत्र मे उल्लेखानुसार घटना की पुष्टि होती है एवं प्रकरण योजनान्तर्गत उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार सहायता राशि दिए जाने के योग्य पाया जाता है तो प्रकरण मे मण्डी समिति में आवेदन पत्र प्राप्त होने के 06 माह पश्चात् सहायता राशि का भुगतान करने का निर्णय मण्डी स्तरीय गठित समिति कर सकेगी"।

sd

(आर.पी.विजय)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– प्रशासक,राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर।
2– निदेशक, कृषि विपणन विभाग,राजस्थान जयपुर ।
3– रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांक :– प.1(168) निकृवि / रागांकृसासयों / 42009-161

दिनांक 05.12.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. क्षैत्रीय संयुक्त / उप निदेशक; कृषि विपणन विभाग, खण्ड–समस्त।
2. उप निदेशक (सांख्यिकी) कृषि विपणन निदेशालय जयपुर।
3. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, समस्त।

(शशि शेखर शर्मा)
संयुक्त निदेशक
कृषि विपणन

E:\Data\RGKSY 15-16\Order.doc

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय जयपुर

क्रमांक प.1 (23) निकृवि/रागाकृसासयो/ दिनांक

आदेश

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना –2009 के बिन्दु संख्या-2 में "योजना के लाभ के लिये उल्लेखित परिस्थितियों" में निम्न परिस्थिती भी जोडी जाती है–

"कृषि कार्य करते समय किसी व्यक्ति के अण्डकोष छिन्न भिन्न होने पर।"

ऐसी किसी दुर्घटना होने पर योजना में बिन्दु संख्या 03 मे उल्लेखित "देय सहायता राशि" में निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है–

(I). एक अण्डकोष छिन्न भिन्न होने पर 25,000 रूपये
(II) दो अण्डकोष छिन्न भिन्न होने पर– 40,000 रूपये

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किये जाते है।

यह प्रावधान सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

ह०
(नन्दगल पहाडिया)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: प.1 (23) निकृवि/रागाकृसासयो/ 43639-797 दिनांक: 14-12-17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, जयपुर।
4. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, कृषि (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. वित्तिय सलाहकार, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर।
7. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर।
8. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग जयपुर।
9. समस्त सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति समस्त।

13-12-2017
निदेशक
कृषि विपणन

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.4(78)कृषि / ग्रुप 2 / 2009 पार्ट जयपुर, दिनांक 15 JAN 2018

आदेश

वर्तमान में "राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना–2009, दिशा–निर्देश 2013–14" मे सहायता राशि हेतु देय वर्णित परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में दुर्घटंना होने पर किसी भी स्तर पर शिथिलता का प्रावधान नहीं है। जिससे कृषि कार्य करते हुये दुर्घटंना होने पर भी कृषक को लाभ नहीं मिल पाता है।

अतः योजना के दिशा–निर्देशों में उल्लेखित परिस्थितियों से भिन्न कृषि कार्य करने के दौरान हुयी दुर्घटना पर शिथिलता का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

(आर.पी.विजय)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान जयपुर।
2– निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, कृषि ।
3– प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4– निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5– वित्तीय सलाहकार, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर।
6– रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.4(78)कृषि/ग्रुप–2/2002/पार्ट जयपुर, दिनांकः 25 SEP 2019

आदेश

"राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना–2009 के दिशा–निर्देश 2013–14" के निरन्तरता में बिन्दु संख्या 02 में उल्लेखित परिस्थितियों में निम्नांकित अतिरिक्त परिस्थितियों को भी शामिल किया जाता है:–

(i) खेत में फसलो की सिंचाई करते समय पानी में प्रवाहित विद्युत करंट से मृत्यु अथवा अंगभंग होने पर।

(ii) खेत पर कृषि व कृषि से जुडे कार्य करते समय वन्य/पालतु/आवारा जानवर के काटने एवं हमला करने से हुयी मृत्यु अथवा अंगभंग होने पर।

(iii) खेत में कृषि व कृषि से जुडे कार्य करते समय गौह/मधुमक्खी/बिच्छु एवं अन्य जहरीले जानवर/कीट आदि के काटने से हुयी मृत्यु एवं अंगभंग होने पर।

(iv) फसल बुवाई हेतु खेत की तैयारी (खेत समतलीकरण, झाड़–झंकाड़ की कटाई, छंगाई) करते समय हुयी दुर्घटना में अंगभंग अथवा मृत्यु होने पर।

(v) खेत में सिंचाई एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य करते समय, खेत में निर्मित डिग्गी/फार्म पोण्ड/टांके/कुऐं एवं अन्य जल भराव की संरचनाओं मे फिसलकर गिरने अथवा पानी निकासी करते समय गिरकर हुये अंगभंग अथवा मृत्यु होने पर।

(vi) खेत की मेडबंदी करते समय हुयी दुर्घटना में अंगभंग अथवा मृत्यु होने पर।

(vii) खेत में फसल को काट कर इकट्ठी करते समय अथवा फसल में से अनाज निकालते समय हुयी दुर्घटना में अंगभंग अथवा मृत्यु होने पर।

(viii) खेत में कृषि कार्य करते समय चक्रवाति तूफान अथवा बारिश के समय पेड़ के नीचे दबने से हुयी मृत्यु अथवा अंगभंग होने पर।

(ix) राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना–2009 के बिन्दु सं. 2 में क्रम संख्या 9 में "काश्तकार/खेतीहर मजदूर के कृषि प्रयोजनार्थ ट्रेक्टर, बैलगाडी, ऊंटगाडी आदि से घर से खेत में जाते/आते समय दुर्घटना होने पर मृत्यु या अंग–भंग होने पर" उल्लेखित है। इस बिन्दु में मोटर साइकिल अथवा अन्य कोई भी वाहन भी सम्मिलित होगें।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

(लाल चन्द गुर्जर)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, जयपुर।
4. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर।
7. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर।
8. समस्त सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति समस्त।
9. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांकः प.1(158)निकृवि/रागांकृसासयों/ 31254–418 दिनांकः 27/9/19

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्ड–समस्त।
2. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, समस्त।
3. उप निदेशक (सांख्यिकी), कृषि विपणन विभाग, जयपुर।
4. कम्प्यूटर शाखा, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर को लेख है कि उपरोक्त नवीन शामिल बिन्दुओ को वेबसाइड पर अपलोड करावें।

(करण सिंह)
संयुक्त निदेशक–II
कृषि विपणन

817/DAM/19

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.4(22)कृषि / ग्रुप–2 / 2019 जयपुर, दिनांकः– 4 OCT 2019

आदेश

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के जन घोषणा पत्र के क्रियान्विति के संबंध में निम्नांकित योजनाओं में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदनानुसार निम्न प्रकार से सरलीकरण किया जाता है:–

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना–2009

क्र.स.	वर्तमान प्रावधान	नवीनतम प्रावधान
1.	एक बार प्रकरण को मण्डी स्तरीय सहायता समिति द्वारा निरस्त किये जाने के पश्चात् किसी भी स्तर पर पुनर्विचार नहीं किया जायेगा तथा गठित सहायता समिति का निर्णय अन्तिम होने का प्रावधान है।	मण्डी स्तरीय सहायता समिति द्वारा निर्णित ऐसे प्रकरणों के संबंध में राज्य स्तरीय सहायता समिति के स्तर पर पुनर्विचार का प्रावधान किया जाता है।

महात्मा ज्योतिबा फुले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना–2015

क्र.स.	वर्तमान प्रावधान	नवीनतम प्रावधान
1.	वर्तमान मे विवाह सहायता हेतु 01 माह तक आवेदन करने का प्रावधान है।	विवाह सहायता हेतु विवाह के 03 माह तक आवेदन करने का प्रावधान किया जाता है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगे।

राज्यपाल की आज्ञा से
(लाल चन्द गुर्जर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, (मा. कृषि विपणन मंत्री) राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनुभाग–1) जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि।
4. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त जन घोषणा पत्र की क्रियान्विति को सी.एम.आई.एस. पोर्टल पर अपडेट कराने का श्रम करावे।
5. महाप्रबंधक, (प्रशासन) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर।
7. क्षेत्रीय संयुक्त / उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्ड–समस्त।
8. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, समस्त ——————————।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव 4/10

राजस्थान–सरकार
कृषि विपणन निदेशालय

क्रमांकः–प.1(158) / निकृवि / सगांकृसायों / 35510-665 दिनांकः– 17/10/19

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. क्षेत्रीय संयुक्त / उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्ड–समस्त /
2. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, समस्त /
3. उप निदेशक (सांख्यिकी), कृषि विपणन विभाग, जयपुर /
4. कम्प्यूटर शाखा, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर को लेख है कि उपरोक्त नवीन शामिल विन्दुओं को वेबसाइट पर अपलोड करावें।

(करण सिंह)
संयुक्त निदेशक–II
कृषि विपणन

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

16 OCT 2019

क्रमांकः प.4(78)कृषि/ग्रुप–2/2002 पार्ट

जयपुर, दिनांकः 16 OCT 2019

आदेश

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना–2009 के दिशा–निर्देश 2013–14 में कृषि/कृषि विपणन कार्यो की परिस्थितियों का विनिश्चयन का वर्तमान सक्षम स्तर राज्य सरकार को है। इस प्रावधान में सक्षम स्तर राज्य सरकार के स्थान पर अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, कृषि को अधिकार होगा।

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना–2009 में दुर्घटना के 09 माह पश्चात् समय सीमा में शिथिलता का अधिकार राज्य सरकार को है। इस प्रावधान में सक्षम स्तर राज्य सरकार के स्थान पर अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, कृषि को अधिकार होगा।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(लालचन्द गुर्जर)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जंयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, शासन–सचिवालय, जयपुर।
4. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बौर्ड, जयपुर।
5. निदेशक कृषि विपणन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, कृषि विपणन निदेशालय ,जयपुर।
7. क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्ड–समस्त।
8. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, समस्त।
9. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव 16/10